"राजनीतिक चंदे पर विमर्शः चुनाव सुधार की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में"

डॉ. शक्ति जायसवाल
एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग)
बुद्ध विद्यापीठ पी0जी0 कॉलेज, नौगढ़–सिद्धार्थनगर

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत में निर्वाचन करना और कराना दोनों एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इतिहास के आईने से देखें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तीन आम लोकसभा चुनाव में धनबल बाहुबल का प्रभाव लगभग शून्य था 1952 से 1967 तक भारत में हुए चुनाव में एक दल प्रभुत्व वाले कांग्रेस प्रणाली का वर्चस्व था। यह वह दौर था, जब स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के सेनानियों के द्वारा भारत में सत्ता संचालित हो रही थी। किंतु 1967 के बाद भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन देखने को दिखे। चौथे आम चुनाव से भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का ह्रास ने काले धन का उपयोग बढ़ाना आरंभ हो गया था। जहां हरित क्रांति ने मध्यवर्गीय जातियों में नई सामाजिक चेतना का विकास किया था, वही नेहरू के बाद का भारत का नेतृत्व नई राजनीतिक चेतना का आगाज कर रहा था। आपातकाल के वीभत्स दौर ने नियमित चुनाव की लोकतांत्रिक तंत्रिका तंत्र को बाधित किया।

आज भारतीय राजनीति में निष्पक्ष निर्वाचन करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह धन का बढ़ता उपयोग है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि गरीब व्यक्ति या संगठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में समान अवसर निरंतर काम होते जा रहे हैं, जिससे निपटने के लिए चुनाव सुधार के नवाचार को ढूंढना पड़ रहा है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राजनीति में धन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व पर प्रभाव विषय पर नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई सम्मेलन में कहा था कि [1] "आज के दौर में भारतीय राजनीतिक कोष के नियमन के लिए कानून पर्याप्त नहीं है, जिससे भयावह हालात पैदा हो सकते हैं और संस्थाएं धन बल के प्रभाव में चली जा रही हैं निष्पक्ष चुनाव करना मुश्किल होता जा रहा है"।

दरअसल संसदीय एवं विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को खर्च करने की सीमा तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने तय कर दी है जिसके अंतर्गत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख और छोटे 10 लोकसभा निर्वाचन के लिए 54 लाख, राज्य विधानसभाओं के लिए अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए है, किंतु प्रत्याशी की सीमा के बावजूद राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में वर्तमान में नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और सत्ता प्राप्ति के बाद नौकरशाही पर दबाव डालकर उस खर्च किए धन की भरपाई करने का प्रयास करते है। 1977 के बाद भारतीय राजनीति में हुए निर्वाचन में धन बल के साथ बाहुबली की हिंसक प्रवृत्ति चुनाव में देखने को मिली। 1980 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार भी सदन में पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सर्वे के अनुसार 2014 [2] के आम चुनाव में कांग्रेस के 13% भाजपा के 21% बसपा के 15% सपा के 24% राजद के 45% एनसीपी के 40% उम्मीदवार आपराधिक रिकार्ड के थे, निर्वाचन आयोग इन अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने

में असफल रहा। यद्यपि भारतीय राजनीति में क्रमिक चुनाव सुरक्षा व्यवस्था में सुधार ने निर्वाचन में बाहुबल को काफी हद तक कमजोर किया है। किंतु अब बाहुबल की जगह धनबल ने ले ली है और चुनाव प्रचार में बड़े–बड़े पोस्टर–होर्डिंग, बड़ी–बड़ी रैलियां, मीडिया मैनेजमेंट, पेड न्यूज में होने वाले खर्चों ने निर्वाचन प्रक्रिया में समान अवसर के सिद्धांत को खत्म कर दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सर्व 2014 [3] के अनुसार लोकसभा चुनाव में लगभग सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में 80% से अधिक सांसद करोड़पति हैं, इसमें भाजपा में 38% ,कांग्रेस में 91% बीजद में 100% , लोक जनशक्ति पार्टी में 100% , उम्मीदवार करोड़पति हैं।

18वीं लोकसभा 2024 के निर्वाचन में विजेता उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा–जोखा 543में से 93% यानी 504 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं। [4] सबसे ज्यादा भाजपा के 227 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है जिसके 92 विजेता उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामों में इन प्रत्याशियों ने एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 के हर विजेता उम्मीदवार के पास औसतन 46.34 करोड़ रुपये की संपत्ति है। दलवार आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा के 240 विजेता उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 50.04 करोड़ की है।

सम्पत्ति	विजेता (सांसद)	प्रतिशत
10 करोड़ रुपये और उससे अधिक	227	42%
5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये	103	19%
1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये	174	32%
20 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये	35	6%
20 लाख रुपये से कम	4	1%

स्पष्ट है कि 2014 से 2024 के दौर में करोड़पति सांसदों की संख्या ही नहीं बढ़ी है बल्कि राजनीति में भी धन बल का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आज के दौर के इन करोड़पति सांसदों की सूची देखकर मंजर भोपाली का वो 1991 सर सैय्यद डे मुसायरा, एल्गिन, यू.एस.ए. में प्रस्तुत नज्म ताजा हो गया, जिसकी लाइने निम्नवत् हैः–

मुझको अपने बैंक की क़िताब दीजिए
देश की तबाही का हिसाब दीजिए,

गाँव गाँव ज़ख़्मी फिजाएँ हो गई
ज़हरीली घर की हवाएँ हो गई,
महँगी शराब से दवाएँ हो गई
जाइए आवाम को जवाब दीजिए
देश की तबाही का हिसाब दीजिए,

लोग जो ग़रीब थे हक़ीर हो गए
आप तो ग़रीब से अमीर हो गए
यानि हुजूर बेज़मीर हो गए
खुद को बेज़मीरी का ख़िताब दीजिए
देश की तबाही का हिसाब दीजिए,

जेब है आवाम की सफाई कीजिए
लूट के गरीबो की भलाई कीजिए
कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए
देश की तबाही का हिसाब दीजिए,

कैसी कैसी देखो योजनायें खा गए
बेच कर ये अपनी आत्माएँ खा गए
मार के मरीज़ों की दवाएँ खा गए
इन्हें पद्मश्री का ख़िताब दीजिए
देश की तबाही का हिसाब दीजिए..!!

मंज़र भोपाली, 1991, सर सैय्यद डे मुशायरा, एल्गिन, यू.एस.ए.

2004 से 2015 तक अज्ञात स्रोतों से मिलता था राजनीतिक चंदा [5] –

नवंबर 2023 में केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2014–15 के बीच 11 साल की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों की कुल आय का 69 फ़ीसदी हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया था कि इस अवधि के दौरान अज्ञात स्रोतों से राष्ट्रीय पार्टियों की आय 6,612.42 करोड रुपए और क्षेत्रीय पार्टियों की आई 1,220.56 करोड रुपए थी। ऐसे राजनीतिक चंदों का कोई लेखा–जोखा नहीं होता था। ऐसे में राजनीतिक चंदे प्रायः कैश दिए जाते थे और बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहते थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अर्थात एडीआर ने 2017 में एक अध्ययन के जरिए पाया कि 2004–05 और 2014–15 के बीच भारत में राजनीतिक दलों की कुल आय 11,367 करोड रुपए थी, जिसमें 20,000 रु से कम दान वाले दान से प्राप्त आमदनी कुल आय का 69 फ़ीसदी यानी 7,833 करोड रुपए (6,612.42 + 1,220.56), अज्ञात स्रोत से आए थे। जबकि राजनीतिक दलों की कुल आय का केवल 16 फीसदी हिस्सा ही ज्ञात दानदाताओं से था। इन 11 सालों में कांग्रेस की 83% फंडिंग, बीजेपी की 65% फंडिंग, सपा की 95%, शिरोमणि अकाली दल की 86% फंडिंग का पता ही नहीं चल पाया था कि किसने उनको यह रकम दी है।

वास्तविकता यह है कि आज के दौर में राजनीतिक दल **निम्न स्रोतों** से चंदा प्राप्त करते हैं–

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 बीः–** के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दोनों से चंदा ले सकते हैं।
- **सदस्यता अभियान चलाकरः–** पारंपरिक तौर पर राजनीतिक दल समय–समय पर अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए रसीद काटकर सदस्यता अभियान चलाते हैं आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप के जरिए भी सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से न्यूनतम शुल्क भी पार्टी अपने खाते में जमा करने में सफल रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2015 से नमो ऐप के माध्यम से आधुनिक तरीके से सदस्यता अभियान और धन एकत्रीकरण का कार्य किया।
- **क्राउड फंडिंगः–** आज राजनीतिक दल चंदा इकट्ठा करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें विशेष अभियान चलाकर निर्धारित समय में चंदा को एकत्र करने की प्रक्रिया की जा रही है। जनवरी–2014 में बी0जे0पी0 ने मोदी फॉर पी0एम0 फण्ड अभियान चलाया। 25 दिसम्बर–2021 (स्व0 अटल जी जयंती) से 11 फरवरी–2022 (स्व0 दीन दयाल जी के पुण्य तिथि) तक माइक्रो डोनेशन अभियान के अन्तर्गत बी0जे0पी0 ने 05रू0 से 1000रू0 तक दान का 'कैम्पने टू मेक इण्डिया ग्रेट अभियान चलाया' 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी स्थापना का 138 वर्ष मनाने वाली कांग्रेस ने पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान, 'टू–सेव डेमोक्रेसी डोनेट फॉर देश' [6] की घोषणा की है। इसने दावा किया कि यह पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक 'तिलक स्वराज फंड' से प्रेरित है, जिसे सौ साल पहले 1920–21 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक पार्टी को न्यूनतम ₹138 या इसके गुणकों में दान कर सकता है।

- **राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष फंडिंगः–** भारत में सरकार राजनीतिक दलों को सीधे दान के रूप में धन प्रदान नहीं करती बल्कि यह अप्रत्यक्ष फंडिंग के तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक निशुल्क पहुंच, रैलियां के लिए सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क पहुंच, निशुल्क या रियायती परिवहन सुविधा आदि। यह निर्वाचन के समय बड़े मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सहर्ष उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **कॉरपोरेट फंडिंगः–** भारत में कॉर्पोरेट निकायों द्वारा दान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत नियंत्रित किया जाता है ।
- **चुनावी ट्रस्ट योजनाः–** भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में इस योजना को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया था इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड चुनावी ट्रस्ट विभिन्न कंपनियों से चंदा प्राप्त कर सकते थे और अपने नियम के अनुरूप में राजनीतिक दलों को चंदा वितरित करते थे इसमें जनता को यह पता नहीं चल पाता था कि कौन सी कंपनी वास्तव में किस राजनीतिक दल को चंदा दे रही है या लेनदेन कर रही है। इस तरह कंपनी की गोपनीयता बनाए रखने के साथ राजनीतिक दलों के खाते के सख्त ऑडिटिंग प्रक्रिया संचालित किए जाने से पारदर्शिता की परत बनाई गई। किंतु इसकी एक कमी भी है ज्यादातर अनुदान सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को प्राप्त होता है। मसलन 2017– 18 में 22 पंजीकृत चुनावी ट्रस्टों में से 86% योगदान सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को गया। [7] 2013 और 2016 के बीच ट्रस्टों से प्राप्त दान पार्टियों द्वारा घोषित कुल फंडिंग का एक तिहाई था। 2016–17 में भाजपा को मिले दान की मात्रा पांच अन्य राष्ट्रीय दलों को मिले दान से 9 गुना अधिक रही है।

2017 के वित्त अधिनियम ने जो बदलाव किए उससे राजनीतिक दान में आमूल चूल परिवर्तन हुए [8]

- सरकार ने गोपनीयता के साथ दिए गए नकद दान की सीमा को ₹20000 से घटाकर ₹2000 कर दी।
- विदेशी मुद्रा अधिनियम 1976 की धारा 34 में संशोधन करते हुए अब विदेशी कंपनी से भी राजनीतिक पार्टियों चंदा ले सकती हैं, बशर्ते विदेशी कंपनी की अनुसांगिक इकाई सेल कंपनी के तौर पर भारत में कार्यरत हो।
- कॉर्पोरेट अंशदान की सीमा को कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के 7.5% से हटा दिया गया और कंपनी के लाभ हानि खाते में अंश दान की रिपोर्ट करने की बाध्यता को भी हटा दिया गया है, ऐसे दान के लिए कंपनी के निदेशक मंडलों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह अब कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितनी भी धनराशि दान कर सकती है, चाहे वह घाटे में ही चल क्यों ना रही हो।

➢ **इलेक्टोरल बॉन्डः–** केंद्र सरकार ने 2017 के वित्त अधिनियम में इलेक्टोरल बांड को धन विधेयक की तरह प्रस्तुत एवं पास कराया था [9] जिसके अंतर्गत इसे राज्यसभा में विमर्श या सहमति बनाएं रखने की आवश्यकता के बगैर आसानी से सदन से पास किया गया था, धन विधेयक होने के कारण राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती थी। यह एक प्रकार का चुनावी बॉन्ड था, जो एक वचन पत्र की तरह था, जिस पर बैंकों द्वारा किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता था, जिसे कोई व्यक्ति, समूह या कॉर्पोरेट भारतीय स्टेट बैंक की किसी विशेष शाखा से एक हजार, दस हजार, एक लाख रुपया और एक करोड रुपए के गुणक में कितनी भी धनराशि का बांड खरीद सकता था। यह बॉन्ड बिक्री वर्ष के चार महीने जनवर, अप्रैल, जुलाई ,अक्टूबर के प्रथम 10 दिनों में बिक्री के लिए भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध थी। इनकी वैधता अवधि 15 दिन थी। यदि 15 दिनों में राजनीतिक दल संबंधित बैंक में इसे जमा करके अपने खाते में धनराशि हस्तांतरण नहीं कराते तो इसकी धनराशि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा हो जानी थी। यह बॉन्ड सभी राजनीतिक दल को नहीं दिए जा सकते थे, इसके लिए वही दल अर्हता प्राप्त थे, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कुल डाले गए वोटो का कम से कम एक प्रतिशत वोट उन्हें प्राप्त हुआ हो। इस बॉन्ड को किसी भी दशा में नकद के रूप में नहीं खरीदा जा सकता था, बल्कि चेक या ई भुगतान के जरिए ही इसे खरीदा जा सकता था। इसे खरीददार द्वारा बैंक में केवाईसी जमा करा कर ही खरीदा जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गोपनीयता रखी गई थी। अर्थात दानकर्ता को यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसने किस पार्टी को राजनीतिक चंदा दिया और पार्टी को भी दानकर्ता का नाम उजागर करने की जरूरत नहीं थी, इस तरह पार्टी को फंड देने वालों की पहचान बैंक के पास गुप्त थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि "हर राजनीतिक दल को अपने रिटर्न में चुनाव बॉन्ड के जरिए नकद दान की व्यवस्था पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी सभी दानकर्ता अपने खातों में यह घोषणा कर सकते हैं कि उन्होंने कितने बॉन्ड खरीदे और राजनीतिक दल भी यह घोषित करेंगे कि उन्हें कितने बॉन्ड मिले।" [10]

SBI
भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA
(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित/Constituted under the State Bank of India Act, 1955)
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021
इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND
(प्रोमेसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)
जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE : 10 APR 2018
जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE
लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT : ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र / Rupees One Thousand only)
प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है ।
उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी ।
For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,000/- (Rupees One Thousand only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018.
On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished.
SAMPLE
स्थान / Place : NEW DELHI
प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorized Signatory

वास्तव में अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल बांड ने क्रोनी कैपिटलिज्म को वैध बना दिया था। [11] इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता केवल मीडिया, नागरिक समाज और जनता के लिए थी, उन्हें नहीं पता चल रहा था कि किसको कितना भुगतान किया गया, किंतु सत्तारूढ़ राजनीतिक दल बड़ी आसानी से कॉर्पोरेट के देन–लेन की जानकारी रख सकता था। स्टेट बैंक एक सरकारी बैंक था और यदि रिजर्व बैंक उससे कोई जानकारी मांगेगा, तो स्टेट बैंक देने के लिए बाध्य होगा। वित्त मंत्रालय को बड़ी आसानी से अन्य राजनीतिक दलों को प्राप्त चुनावी बांड की धनराशि की जानकारी लग सकती थी।

देश के पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A के तहत आयकर से छूट मिलती है। उसके लिए दान या चंदा लेने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। उसको सिर्फ उसे लेनदेन का ब्योरा चुनाव आयोग के समक्ष पेश करना होगा, जो 20000 रु या उससे अधिक का हो, इससे कम की रकम का कोई भी हिसाब किताब उन्हें नहीं देना होता है। वस्तुतः इसी का लाभ उठाकर अनेक राजनीतिक दल पर काले धन को सफेद करने और चुनाव में भी बेहिसाब काला धन खर्च करने का आरोप लगाता रहा है।

15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के पांच जजों (मुख्य न्यायधीश डीवाई चन्द्रचूड़ के अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र) की संवैधानिक पीठ ने भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कॉमन कॉच, और एडीआर द्वारा इलेक्टोरल बांड को दी गयी चुनौती पर निर्णय देते हुए चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए, अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे गए सभी चुनावी बॉन्ड को पारदर्शी तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट से जारी करने का आदेश निर्गत किया। [12] इस हेतु स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को 15 मार्च 2024 तक का समय दिया गया था, कि वह चुनावी बांड खरीदे सभी कंपनियों के आंकड़े को निर्वाचन आयोग को सौंप देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनावी बांड योजना, आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(सी) और वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(बी) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है अर्थात उनके अनुसार चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है।

अप्रैल–2019 से जनवरी–2024 तक कुल 12769.40 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड निम्न राजनीतिक दलो के द्वारा खरीदे गये [13] –

क्र0सं0	राजनीतिक दल	इलेक्टोरल बांड (धनराशि करोड़ रूपये में)
1.	भारतीय जनता पार्टी	6060
2.	तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.)	1600
3.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1421
4.	भारतीय राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.)	1214.7
5.	बीजू जनता दल	775.5

6.	द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.)	600
7.	युवजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाई.एस.आर.)	337
8.	तेलगू देसम पार्टी (टी.डी.पी.)	218.9
9.	शिवसेना	159.4
10.	राजद, आप, जनता दल सेकुलर, सिक्किम क्रांति मोर्चा, एन0सी0पी0 आदि	30–75

अप्रैल–2019 से जनवरी–2024 तक निम्न कम्पनियों ने निम्नवत् रूपयो के इलेक्टोरल बांड राजनीतिक दलों को दिये [14] –

क्र0सं0	कम्पनी	क्रय किये गये इलेक्टोरल बांड (धनराशि करोड़ रूपये में)
1.	फ्यूचर गेमिंग एण्ड होटल सर्विस प्रा0लि0	1368
2.	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	966
3.	हल्दिया इनर्जी	377
4.	वेदांता ग्रुप	376
5.	वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन	220
6.	भारतीय एयरटेल	198
7.	केवनकार फूड पार्क	195

कम्पनियों द्वारा क्रय किये गये इलेक्टोरल बांड के पीछे का राजनीतिक सौदा–

क्र0सं0	कम्पनी	इलेक्टोरल बांड क्रय मूल्य (करोड़ रू0 में)	राजनीतिक सौदा
1.	फ्यूचर गेमिंग एण्ड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड [15] (FG) मुख्यालय–कोयम्बटूर	1368 Cr. Rs.	इस कम्पनी का मालिक सैंटियागो मार्टिन है जिसे लॉटरी किंग कहते है, यह म्यंमार से भारत आकर लॉटरी का धंधा चालू किया। 2011 में जमीन धोखाधड़ी के मामले में जेल में रहा। सी0बी0आई0 ने 2011 में इसके खिलाफ 30 मुकदमें दर्ज किये, 2014 में सी0बी0आई0 ने चार्जसीट दर्ज की और यह 08 महीने के लिये जेल में था। अप्रैल–2019 में आयकर विभाग ने मार्टिन की कम्पनी एवं घर पर लगातार 04 दिन छापे मारे और 5.8 करोड़ रूपये नकद एवं 24 करोड़ के सोने व हीरे के सामान जब्त किये। सिक्किम सरकार को इसने सैकड़ो करोड़ का नुकसान कराया। 02 अप्रैल–2022 इसकी कम्पनी की 409

			करोड़ रूपये की चल सम्पत्ति जब्त कर ली जाती है और उसके 05 दिन बाद यह कम्पनी 100 करोड़ रूपये का बांड खरीदती है। मई 2023 में 457 करोड़ की इसकी सम्पत्ति जब्त की जाती है और उसके बाद फिर यह कम्पनी अनेक बार बांड खरीदते हुए कुल 1368 करोड़ रूपये की बांड खरीद डालती है।
2.	मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) [16] मुख्यालय–हैदराबाद	966 Cr. Rs.	अक्टूबर–2019 में इस कम्पनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, इसके बाद 2024 तक इसने 966 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड खरीदे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट 2024 में बताया गया कि मेघा इंजीनियरिंग को तेलंगाना के कलेश्वरम मल्टीपरपज इरीगेशन प्रोजेक्ट में करोड़ों रूपयों का फायदा हुआ था। पहले इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 81911.01 Cr. थी, जिसे बढ़ाकर 1,47,427.41 Cr. से अधिक कर दिया गया था। तेलंगाना में बी0आर0एस0 पार्टी के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मेघा इंजीनियरिंग को 5188.43 करोड़ रूपये अतिरिक्त धनराशि 04 पैकेज के बदले दी गयी थी, जिसमें पम्प, मोटर एवं अन्य उपकरण की सप्लाई एवं कमिशनिंग शामिल थी। मेघा के अलावा एल.एन. टी., नवियो जैसी और भी कम्पनियां थी, जिसे 7500 करोड़ रूपये के लगभग अतिरिक्त आवांछित लाभ दिये गये। [16A] इसी प्रोजेक्ट पर जबकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) अक्टूबर–2020 में रेडफ्लेग जारी करते हुए इसे अवैध बताया था। [16B] थाने बोरेवली ट्वीन टर्नल मुम्बई, उत्तराखण्ड में जोजिला टर्नल का काम भी मेघा इंजीनियंरिग का काम भी मिला। [16C] जून–2023 में रक्षा मंत्रालय ने भी इसे 500 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट दिया। [16D]
3.	क्वीक सप्लाई चेन[17] रिलायंस कम्पनी के डायरेक्टर ही इसको देखते है	410 Cr. Rs.	इसने अपने कुल नेट प्राफिट 79.98 करोड़ रूपये से 6 गुना अधिक लगभग 410 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड खरीदे।

4.	बी0जी0 शिरके कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0[18]	118 Cr. Rs.	अक्टूबर–2018 में इसी कम्पनी की साइट पर टावर क्रेन से 04 लोग नीचे गिरकर मर गये थे। जून–2022 में इसके ऊपर एफ.आई.आर. होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर एलीवेटर क्रैस में 04 लोग मर गये थे। इसने जनवरी–2023 से जनवरी–2024 के बीच कुल 118 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड खरीदे।
5.	नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड [19] मुख्यालय–हैदराबाद	55 Cr. Rs.	नवम्बर–2023 के इसके एक उत्तराखण्ड प्रोजेक्ट–सिल्कयाना बेंड–बेकोट टॅनल उत्तराखण्ड में (4.5 कि0मी0) लम्बी सुरंग में 41 मजदूर बुरी तरह फंस गये थे, किसी तरह उन्हें निकाला गया था, इस कम्पनी ने 55 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड खरीदे थे।
6.	हेट्रो फार्मा [20] मुख्यालय–हैदराबाद	60 Cr. Rs.	यह कम्पनी कोरोना से लड़ने की रेमीडिशियर भी बनाती थी, इस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा 142 करोड़ रूपये जब्त हुये, और 510 करोड़ रूपये की अघोषित आय का पता चला। इस कम्पनी ने अप्रैल–2022 से अक्टूबर–2023 तक 60 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड खरीदे थे। कम्पनी के फाउंडर चेयरमैन को बी0आर0एस0 ने राज्यसभा सदस्य भी बनाया था।
7.	टोरेंट फार्मा [21] मुख्यालय–गुजरात	77.5 Cr. Rs.	2018–2019 में इसकी दवाइयों को अनेक बार फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने निम्न स्तरीय घोषित किया है।
8.	सिपला [22] मुख्यालय–मुम्बई	39.2 Cr. Rs.	इनकी आर0सी0 कफ सिरप अगस्त–2018 के जांच में गुणवत्ताहीन एवं मानकविहीन पाया गया था। जुलाई–2021 में इनकी रेमीडिशियर दवा पर भी नोटिस दी गयी थी।
9.	जाइडस कैडिला [23] मुख्यालय–गुजरात	29 Cr. Rs.	इसने सिक्किम क्रांति मोर्चा को 08 करोड़ रूपये के इलेक्टोरल बांड दिये।
10.	अलाना ग्रुप [24] (बीफ एक्सपोट कम्पनी)	7 Cr. Rs.	यह कम्पनी बीफ एक्सपोट का मुख्य काम करती है।

इस तरह राजनीतिक चंदे ने भारतीय राजनीति में निर्वाचन सुधार के समक्ष अनेक चुनौतियों को जन्म दे दिया है .....

1– क्रोनी कैपीटलिज्म, क्रिप्टोक्रेसी, को बढ़ावा ।

2– निर्वाचन सुधार में दूसरी सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों का सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल न होना है, अपने फायदे के लिए इस मामले पर सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर आरटीआई के दायरे से बचकर कार्य करना चाहते हैं। इससे जनता और डाल के बीच पारदर्शिता का अभाव होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

3–तीसरी बड़ी चुनौती राजनीति राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र के छलावा होने की है ।

सभी राजनीतिक दल अपना संविधान यद्यपि बनाए हुए हैं किंतु कोई संविधान का व्यवहार में पालन करता नजर नहीं आता, आंतरिक निर्वाचन मजाक बनकर रह गए हैं, जिससे अच्छे लोग राजनीतिक दलों में अच्छे पद पर नहीं पहुंच पाते हैं और जनता अच्छे प्रत्याशी या अच्छे जनप्रतिनिधि से वंचित हो जाती है।

4–चौथी बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक दल आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लेकर टिकट खरीदे और बेचे जाते हैं यह बात अब किसी से छिपी नहीं है , जिससे चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के बीच ही अवसर की समानता का सिद्धांत असफल होता प्रतीत होता है।

इन चुनौतियों की परिप्रेक्ष्य में कुछ सुझाव एवं महत्वपूर्ण परामर्श निम्नवत है, जिन पर विचार किया जा सकता है –

1– स्टेट फंडिंग को बढ़ावा दिया जाए:– राजनीतिक दलों को धन के निजी संग्रहण पर रोक लगाते हुए सरकार द्वारा चुनाव लड़ने के लिए सहायतार्थ राशि दी जाए । यह राशि उनको मिले वोट के अनुपात में भी दी जा सकती है जिससे चुनाव में हुए खर्च की भरपाई की जा सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके ।

यूरोप के 86% देश में अफ्रीका के 71% देश में अमेरिका में 63% देश में और एशिया में 58% देश में राजनीतिक दलों को सीधे सरकारी फंडिंग दी जाती है यह सार्वजनिक वित्त राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष लेनदेन या भ्रष्टाचार से बचाने में मदद कर सकता है कम संसाधन वाले उम्मीदवार एवं नए राजनीतिक दल नए प्रवेश के लिए खेल के मैदान को सामान बन सकता है। वैश्विक अनुभव को देखें तो कनाडा स्वीडन और कुछ हद तक जापान में प्रभावशाली सार्वजनिक वित्त पोषण मॉडल होते हैं जिनमें दो तत्व पाए जाते हैं पहले वह सीमा पर सख्त प्रतिबंध मजबूत विनियमन और दूसरा प्रकटीकरण यानी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कॉरपोरेट या निजी धन पर निर्भरता को कम करना, राज्य वित्त पोषण के माध्यम से सफेद धन का प्रवाह करना या कर मुक्त दान जैसे अन्य वित्तपोषण विकल्प को प्रोत्साहित कर करना।

2– राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया जाए, जिससे पारदर्शिता में बढ़ोतरी होगी जनता, राजनीतिक दल और सरकार के बीच संवाद, सूचना का प्रसार, सुविधाओं की पहुंच बेहतर हो सकेगा।

3– चुनावी न्याय को स्थापित करनाः– सरकार और न्यायपालिका का दायित्व है कि निर्वाचन प्रक्रिया के सभी पहलू को कानून सम्मत रखते हुए निर्वाचन के अधिकार की रक्षा करें स्वतंत्र निष्पक्ष प्रमाणिक चुनाव ही स्वस्थ, सशक्त लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है।

4– स्वतंत्र और निष्पक्ष लेखा परीक्षण तंत्र की स्थापना होः– राजनीतिक दलों के खातों की स्वतंत्रत और निष्पक्ष लेखा परीक्षण के लिए निष्पक्ष परीक्षण तंत्र का होना बहुत जरूरी है। जिससे उनकी आय और व्यय की वार्षिक ऑडिटिंग की जा सके और इसकी सूचना हर मतदाता को वेबसाइट के जरिए प्राप्त हो सके ।

5– निर्वाचन आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होनी चाहिए, इसमें विपक्षी दल के सुझाव के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी भूमिका होनी चाहिए ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जनता की आस्था को किसी भी तरह का ठेस न पहुंचे ।

सन्दर्भ सूची–

1– प्रभात खबर, डिजिटल डेस्क, " राजनीति में धन के इस्तेमाल का जनप्रतिनिधित्व पर प्रभाव, पार्टियों के लिए तय हो खर्च सीमा " 18 दिसंबर 2015

2– http://adrindia-org>election &watch>lo

3– वही, http: //adrindia-org>election &watch>lo

4– तिवारी, शिवेंद्र, "251दागी, 504 करोड़पति, 74 महिलाएं , तीन सबसे अमीर निर्वाचित सांसदों में नवनीत जिंदल भी" , अमर उजाला , स्पेशल डेस्क, 6 जून 2024 ।

5– चौहान ,दया कृष्णा " इलेक्टोरल बांड से पहले ऐसे होता था चुनावी चंदे का गड़बड़ झाला" TV9, 1 अप्रैल 2024

6– गुप्ता , अंकित "भूल जाइए इलेक्टोरल बांड जानिए राजनीतिक दल कितनी तरह से जुटाते हैं चंदा? " , टीवी 9 , 15 फरवरी 2024 ।

7 – डेका, कौशिक " राजनीतिक वित्त पोषण पार्टी का खर्च कौन उठाता है ? "इंडिया टुडे , 19 नवंबर 2018 ।

8 – वही , डेका, कौशिक " राजनीतिक वित्त पोषण पार्टी का खर्च कौन उठाता है ? "इंडिया टुडे , 19 नवंबर 2018 ।

9 – छोकर , प्रोफेसर जगदीप , ट्रस्टी एवं संस्थापक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स , द वायर , 30 / 10 / 2023 ।

10– वही , डेका , कौशिक , इंडिया टुडे , 19 नवंबर 2018

11– वही , डेका , कौशिक , इंडिया टुडे , 19 नवंबर 2018

12– द इण्डियन एक्सप्रेस, एस0सी0 स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बांड स्कीम एज 'अनकास्टीट्यूसनल' वॉट ग्राउन्ट्स डिड द वेरडिक्ट रियली अपऑन? 15 फरवरी–2024

13– इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया, प्रेस नोट , 14 मार्च 2024 ।

14 – वही, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया, प्रेस नोट , 14 मार्च 2024 ।

15– द टाइम्स ऑ इण्डिया ''फ्यूचर गेमिग्स सैंटियागो मार्टिन आन ईडी, आई.टी. राड़ार फॉर ओवर ए डिकेड'' 15 मार्च–2024

16– (A) डेक्कन क्रानिकल, ''के.एल.आई.एस. सीज पोल ऑफ करप्सन सी.ए.जी. फाइंडस एक्सेस पेमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ 7500 Cr, 08 जनवरी–2024

16– (B) द इण्डियन एक्सप्रेस ''एन.जी.टी. रेड फ्लैग्स कालेश्वरम प्रोजेक्टः ग्रीन क्लीयरेंस वॉच इन वायलेसन ऑफ लॉ'' हाल्ट वर्क, 21 अक्टूबर–2020

16– (C) मनी कन्ट्रोल, ''मेघा इंजीनियरिंग बीटस एल एण्ड टी टू बैक 14400 Cr. Rs. थाने बोरवली ट्वीन टनेल प्रोजेक्ट्स, 12 मई–2023

16– (D) द इकोनामिक टाइम्स, ''मील ग्रुप कम्पनी बैग्स 500 Cr. Rs. आर्डर फ्रॉम डिफेन्स मिनिस्ट्री।

17– द इण्डियन एक्सप्रेस, ''डायरेक्टर्स ऑफ ओनर फर्म्स ऑफ डोनर नं0 3 क्वीक सप्लाई आर रिलायन्स इक्जीक्यूटिव्स'' 16 मार्च–2024

18– मोहन, आनन्द, द इण्डियन एक्सप्रेस ''फोर मैन डेड एट डीडीए कन्स्ट्रक्सन साइट, पोलिस, आफिशियल प्रोव वॉट लेड टू फेटल फॉल, नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 2018

19– मजमदार, जय, ''इन द लिस्ट, फर्म इन उत्तराखण्ड टनेल कोलेप्स, अदर विथ ए डोडजी रिकार्ड, द इण्डियन एक्सप्रेस, 17 मार्च–2024

20– द इकोनामिक टाइम्स, आई.टी. डिपार्टमेन्ट डिटेक्ट्स 550 Cr. Rs. इन हिडेन इनकम आफ्टर रेडस ऑन हेट्रो फार्मा ग्रुप, 09 अक्टूबर 2021

21– बरनाग्रवाल, तबस्सुम, स्क्रोल डॉट इन सेवेन फर्म्स दैट फेल्ड ड्रग क्वालिटी टेस्टस गेव मनी टू पोलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बांड्स, 18 मार्च 2024

22– वही, बरनाग्रवाल, तबस्सुम, स्क्रोल डॉट इन सेवेन फर्म्स दैट फेल्ड ड्रग क्वालिटी टेस्टस गेव मनी टू पोलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बांड्स, 18 मार्च 2024

23– द टाइम्स आफ इण्डिया, जाइडस कैडिला टू मेक रेमीडेसीवर, 13 जून 2020

24– द क्वीन्ट, इलेक्टोरल बांड्सः बीफ एक्सपोर्ट कम्पनी डोनेटेड 5 Cr. Rs. टू शिवसेना, 2 Cr. Rs. टू बी0जे0पी0, 21 मार्च 2024